

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

--:: अधिसूचना ::--

राँची, दिनांक-31.12.2025

संख्या-10/विविध-01-02/2021 का.-8772 श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा की प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली संचरण निगम लिमिटेड (JUSNL), राँची के पद पर नियुक्ति से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 दिनांक-01.01.2022 (कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-7350 दिनांक-29.12.2023 एवं अधिसूचना संख्या-8408 दिनांक-31.12.2024 द्वारा यथा संशोधित) में श्री वर्मा की नियुक्ति अवधि को संशोधित करते हुए "04 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो," के स्थान पर "05 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2026 तक) अथवा किसी के पदस्थापन होने तक, जो पहले हो," किया जाता है।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 दिनांक-01.01.2022, अधिसूचना संख्या-7350 दिनांक-29.12.2023 एवं अधिसूचना संख्या-8408 दिनांक-31.12.2024 के शेष व्यवस्थाएँ यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


31.12.2025
(आसिफ हसन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-10/विविध-01-02/2021 का. -8772 राँची, दिनांक-31.12.2025

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31.12.2025
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-10/विविध-01-02/2021 का. - 8772 राँची, दिनांक-31.12.2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य प्रबंध निदेशक, झारखण्ड विद्युत निगम लिमिटेड, राँची/सचिव कोषांग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31.12.2025
सरकार के संयुक्त सचिव।